

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला बड़वानी
समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पांडेय'

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 875/2014
संस्थित दिनांक- 24.12.2014

म.प्र. राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र अंजड़, जिला बड़वानी

.....अभियोजन

वि रु द्ध

निलेश पिता मोहनलाल सोनी,
आयु-29 वर्ष, निवासी मारु मोहल्ला,
अंजड़, जिला बड़वानी

.....अभियुक्त

अभियोजन द्वारा	- श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.ओ.
अभियुक्त द्वारा	- श्री आर.के. श्रीवास अधिवक्ता ।

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 30/03/2016 को घोषित)

1. आरोपी के विरुद्ध थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 336/14 के आधार पर दिनांक 10.12.14 को शाम लगभग 6:30 बजे अस्पताल चौक अंजड़ में अभियोक्त्री जो कि एक स्त्री है कि लज्जा भंग करने के आशय से उसके निवास स्थान में सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृहभेदन कारित करने एवं उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसका दाहिना हाथ बुरी नियत से पकड़कर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिये भा.द.वि. की धारा-457, 354 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है ।
2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियोजन साक्षी आरोपी को जानते हैं तथा पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था । प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि अभियोक्त्री ने दिनांक 20.08.16 को द.प्र.सं. की धारा-320(2) के अंतर्गत आवेदन पेश कर अभियुक्त के साथ राजीनामा करने की अनुमति चाही थी तथा राजीनामा भी पेश किया था, किंतु अशमनीय प्रकृति का अपराध होने से उक्त राजीनामा आवेदन एवं राजीनामा न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है ।
3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 10.12.14 को अभियोक्त्री शाम लगभग 6:30 बजे घर पर अकेली थी, उसकी माँ मीटिंग में ठीकरी गयी थी, पिताजी भी घर पर नहीं थे, उसे अकेली देखकर उसके मकान में पीछे किराये से रहने वाला अभियुक्त बुरी नियत से उसके घर में आ गया तथा बुरी नियत से अभियोक्त्री का दाहिना हाथ पकड़कर खींचने लगा, अभियोक्त्री के चिल्लाने पर उसकी आवाज सुनकर मुकेश पाटीदार, प्रकाश सिर्वी तथा मोहल्ले के अन्य लोग आ गये थे, तो अभियुक्त अभियोक्त्री को

छोड़कर भाग गया । अभियोक्त्री अपने मामा के लड़के को साथ लेकर थाना रिपोर्ट करने आई । अभियोक्त्री की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना अंजड़ में अपराध क्रमांक 336/14 भा.द.वि. की धारा-354, 457 के अंतर्गत प्र.पी.1 का दर्ज किया जाकर अभियोक्त्री को मेडिकल-परीक्षण के लिये भेजा गया तथा घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया । अभियोक्त्री एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये । अभियुक्त को गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

4. उक्त अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा-457, 354 का आरोप लगाये जाने पर अभियुक्त द्वारा अपराध अस्वीकार किया गया है तथा अपना विचारण चाहा है । भा.द.सं. की धारा-313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में अभियुक्त का कथन है कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फँसाया गया है, लेकिन अभियुक्त ने बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है ।

5. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक 10.12.14 को शाम लगभग 06:30 बजे अस्पताल चौक अंजड़ में अभियोक्त्री के निवास स्थान में सूर्यास्त के पश्चात् तथा सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृहभेदन कारित कारित किया ?
2	क्या उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर अभियुक्त ने अभियोक्त्री जो कि एक स्त्री है कि लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ?
3	निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 का निराकरण :-

6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में साक्षी अभियोक्त्री (अ.सा.1) का कथन है कि वह अभियुक्त को जानती है । अभियुक्त उसके मकान में किराये से रहता था । घटना लगभग डेढ़ वर्ष पुरानी है । किराये की बात को लेकर उसकी अभियुक्त से बोलचाल हो गयी थी, जिसकी रिपोर्ट उसने अंजड़ थाने पर लेखबद्ध करायी थी, प्र.पी. 1 की है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । पुलिस ने उसका मेडिकल-परीक्षण कराया था तथा उसकी निशांदेही से घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी.2 का बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । न्यायालय द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर अभियोक्त्री ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि जब वह घर पर अकेली थी, तो अभियुक्त उसके घर में घुस गया था और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया था और उसके साथ छेड़छाड़ की थी । अभियोक्त्री ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि अभियुक्त ने उसका दाहिना हाथ पकड़कर खींचा था । यहां तक कि अभियोक्त्री ने उसके कथन में एवं रिपोर्ट में उक्त बात पुलिस को बताने से भी इन्कार किया है । अभियोक्त्री ने स्वीकार किया है कि उसका अभियुक्त से राजीनामा हो गया है, किंतु इस

सुझाव से इन्कार किया है कि राजीनामा हो जाने कारण वह असत्य कथन कर रही है। बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि जब वह थाने पर रिपोर्ट करने गयी थी, तब गुस्से में थी, इस कारण रिपोर्ट पढ़कर नहीं देखी थी।

7. साक्षी मुकेश (अ.सा.1) तथा मुन्नालाल (अ.सा.3) ने भी अभियोक्त्री और अभियुक्त को पहचानने के अतिरिक्त अन्य कोई कथन अभियोजन के समर्थन में नहीं किया है। उक्त दोनों ही साक्षियों ने अभियोजन के इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री का हाथ पकड़कर छेड़खानी का प्रयास किया था। यहां तक कि उक्त साक्षियों ने पुलिस को अपने कथन देने से भी इन्कार किया गया है। साक्षी मुन्नालाल (अ.सा.13) ने यह किया है कि अभियोक्त्री ने अभियुक्त से राजीनामा कर लिया है।

8. साक्षी कविता अलावा (अ.सा.4) का कथन है कि वह दिनांक 10.12.14 को परिवीक्षाधीन उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ थी, उक्त दिनांक को अभियोक्त्री ने आरोपी के विरुद्ध उसके घर में घुसकर छेड़खानी करने की रिपोर्ट की थी, उसके आधार पर उसने अपराध क्रमांक 336/14 प्र.पी.1 का दर्ज किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी का कथन है कि उसने अभियोक्त्री को मेडिकल-परीक्षण के लिये भेजा था। उसने विवेचना के दौरान प्र.पी.2 का नक्शामौका बनाया था। उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था और अभियोक्त्री एवं साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे।

9. बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि अभियोक्त्री ने उसे कोई रिपोर्ट नहीं लिखायी थी अथवा अभियोक्त्री एवं साक्षियों ने उसे कोई कथन नहीं दिये थे। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि वह असत्य कथन कर रही है अथवा उसने असत्य विवेचना की है।

10. ऐसी स्थिति में जबकि अभियोक्त्री ने अभियुक्त से राजीनामा कर लिया है और वह पूर्णतः पक्षविरोधी रही है तथा शेष साक्षियों ने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय एवं स्थान पर अभियोक्त्री के निवास स्थान में सूर्यास्त के पश्चात् एवं सूर्योदय के पूर्व प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार या गृहभेदन कारित किया एवं उसकी लज्जा भंग करने के आशय से उसका दाहिना हाथ बुरी नियत से पकड़कर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया था।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3 'निष्कर्ष' एवं 'दण्डादेश' :-

11. ऐसी स्थिति में अभियुक्त के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा-457, 354 का अपराध संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है। अतः अभियुक्त निलेश पिता मोहनलाल सोनी, आयु-29 वर्ष, निवासी मारु मोहल्ला, अंजड़, जिला बड़वानी को भा.द. वि. की धारा-457, 354 के अपराध से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

12. अभियुक्त के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13. अभियुक्त का द.प्र.सं. की धारा-428 के अंतर्गत निरोध की अवधि का प्रमाण-पत्र बनाया जाए ।
14. प्रकरण में कोई भी जप्त संपत्ति नहीं है ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला-बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म.प्र.